



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC-724

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 08/08/2022

विषय— श्री अनुज कुमार मेहता द्वारा गया जिला अन्तर्गत कैया ग्राम के खाता संख्या-329, प्लॉट संख्या-429(पु.), थाना संख्या-292, ब्लॉक-मानपुर में गया-मोकामा पथ (NH-82) के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच पथ के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03375 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144111/2021/220, दिनांक 12.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 18.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 12.04.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,71,390.00 (रु० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144111727, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52022060600857086 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.03375 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.03375 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 32,325/- (बत्तीस हजार तीन सौ पचीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144111727, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52022060600857086 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	The State Govt. shall charge penal Net Present Value (NPV) for violation which is equal to NPV of forest land per hectare for each	Penal NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रु. 2,19,810/- (दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144111727, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52022060600857086 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	Penal NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रु. 2,19,810/- (दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144111727, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52022060600857086 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	any purpose other than	
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03375 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC- 724

दिनांक- 03/08/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया / वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं श्री अनुज कुमार मेहता, पिता- सचदेव लाल मेहता, ग्राम-सीचर, पो०-बड़ागंधर, थाना-मुफरसील, जिला-गया, पिन-823003 को सूचना हेतु प्रेषित।

 3/8/22

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Anuj Kumar Mehta /HPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.03375 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	12.04.2022				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	7,71,390.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	32,325.00				
	h. Penal Net present Value	2,19,810.00				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	BARBR52022060600 857086 dt. 06.06.2022	7,71,390/-	CA
		2	challan		32,325/-	NPV
					2,19,810/-	Penal NPV
		Total-			10,23,525/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 06.06.2022				
12	Any other remarks					

(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.



सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक- 18-7-22

विषय- श्री अनुज कुमार मेहता द्वारा गया जिला अन्तर्गत कैया ग्राम के खाता संख्या-329, प्लॉट संख्या-429(पु.), थाना संख्या-292, ब्लॉक-मानपुर में गया-मोकामा पथ (NH-82) के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच पथ के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03375 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 338, दिनांक 20.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144111/2021/220, दिनांक 12.04.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-7 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ-

भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, A/c No. 1506270144111727, Bihar CAMPA, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52022060600857086 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

- NPV के मद में मेरे द्वारा 0.03375 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 32,325.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित A/c No. 1506270144111727, Bihar CAMPA, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52022060600857086 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- भवदीय प्रासंगिक पत्र द्वारा Penal NPV मद में रु. 2,19,810/- की मांग की गयी है, जिसे मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित A/c No. 1506270144111727, Bihar CAMPA, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52022060600857086 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण, NPV एवं Penal NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
- जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

6. भवदीय प्रासंगिक पत्र द्वारा Penal NPV मद में रु. 2,19,810/- की मांग की गयी है, जिसे मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित A/c No. 1506270144111727, Bihar CAMPA, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 06.06.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52022060600857086 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
7. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

Anuj K. Mehta
(अनुज कुमार मेहता)

पिता- सचदेव लाल मेहता,
ग्राम-सीचर, पो०-बड़ागंधर,
थाना-मुफरसील, जिला-गया,
पिना-823003



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda



WHOM TO IT MAY CONCERN

This is certified that RTGS done from M/S Vidya HP account number 19490200000046 via UTR Number BARBR52022060600857086 amounting Rs. 1023525/- to account number 1506270144111727 IFSC UBIN0903710 on dated 06.06.2022.

Regards,

Ravindra Kumar
(Branch Head)



68

UTR- BARBR52022060600857086

फॉर्म नं. 404



शाखा : Budhgere
दिनांक : 6/6/22

आधार शाखा : Budhgere
खाता नं. : 19490200000046
खाताधारक का नाम : VEDHA HP

आरटीजीएस/एनईएफटी-के पक्ष में :

बैंक : Union Bank of India

शाखा : New Delhi

आईएफएस कोड : UBIN0903710

लाभार्थी का खाता नं. : 1506270144111727

लाभार्थी के खाते का प्रकार :

लाभार्थी का नाम :

BIHAR CAMPA

रशि : 1023525
विशेषण की रशि :
विनियम :
कुल :

रशि (शब्दों में) Ten Lacs twenty three thousand five hundred twenty five only

कलक / कैशियर/टेलर

लेखाकार

(चेक वसूली के अधीन)

Budhgere Branch, Via Gaya-Nawada Road, Gaya (Bihar)

PIN - 823003

e-mail: budhge@bankofbaroda.com

67

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 31-05-2022

Agency Name	ANUJ KUMAR MEHTA
Application No.	70144111727
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/144111/2022
Location	BIHAR
Address	Village-Sichar, PO-Barragandhar, Thana-Muffasii Gaya
Amount(in Rs.)	1023525/-

Amount in Words: Ten Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	BIHAR CAMPA
IFSC Code	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506270144111727 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 31-05-2022

Agency Name	ANUJ KUMAR MEHTA
Application No.	70144111727
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/144111/2022
Location	BIHAR
Address	Village-Sichar, PO-Barragandhar, Thana-Muffasii Gaya
Amount(in Rs.)	1023525/-

Amount in Words: Ten Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	BIHAR CAMPA
IFSC Code	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506270144111727 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.inNote: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

कार्यालय, जिला पदाधिकारी गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या..... 2255/1 दिनांक..... 28.12.15.....

प्रमाणित किया जाता है कि गया जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री अनुज कुमार मेहता द्वारा H.P.C.L. Retail Outlet (Petrol Pump) के लिए पहुँच एवं निकास हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान NH-82 गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा रोड तक कुल entry : 22.5m X 7.5m Exit : 287.127 sq.m में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.0753 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी गया के पत्रांक 7030 दिनांक 20.11.2015 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गावों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


समाहर्ता,
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.


D.M.
Gaya.